

22/11/16

अभिलेख उपस्थापित किया गया।
धारा 7 का नोटिस तामिला होने
के बावजूद देनदार न्यायालय में
अनुपस्थित। इससे स्पष्ट होता
है कि देनदार जानबूझ कर
न्यायालय में उपस्थित नहीं हो
रहा है।

अतः देनदार के विरुद्ध B/W
निर्गित करें। अभि० दिनांक 22/08
2016 को उपस्थापित करें।

नॉटिफिकेशन
साराजकेला

अभिलेख उपस्थापित किया गया। प्रमोडलीय
आयुक्त सिद्धभूम (कौन्टान) प्रमण्डल चार्जवासा
का पत्रांक 1327 दिनांक 06-11-2023 द्वारा
शक्ति प्राप्त हुआ है। शाखा प्रबंधक कैन्स
बैंक रायनगर के पत्रांक MISC/01/120223
दिनांक 02-12-2023 द्वारा सूचित किया गया
है कि देनदार श्री हिमांशु महाकुड़ का लोन
खाता निपटारे के बाद कर दिया गया है।

अतः अभिलेख की कार्यवाही समाप्त
की जाती है।

श्री. सु. उपसमा.
- सह -
साराजकेला
नीलम पत्र पदा.